न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

प्रार्थना –पत्र नम्बर 29/2022

प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

1. सुरेन्द्र कौर पत्नी श्री जोगेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर हाल अबाद सिविल लाइन हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (फौत)
1. जोगिन्द्र सिह पुत्र अजमेर सिह जाति जटसिख निवासी आई–271 न्यू सिविल लाईन्स हनुमानगढ़ जं. तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. जगमीतसिह पुत्र जोगेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 85 डॉक्टर्स कॉलोनी डीसीएम अजमेर रोड जयपुर।
3. सुखदीपकौर पत्नी अजीतपाल सिह पुत्री जोगेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी लक्कड़वाला तहसील एव जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)
4. अमनदीप सिह पुत्र जोगेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी आई–271 न्यू सिविल लाईन्स हनुमानगढ़ जं. तहसील व जिला हनुमानगढ़

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व संगरिया
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग संगरिया द्वारा अधि.अभि.सार्वजनिक निर्माण विभाग संगरिया।
3. रमेश कुमार पुत्र श्री धर्मदास जाति सिधी निवासी सुरेशिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. मानती देवी पत्नी श्री चाननसिह निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत संशोधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की चक 19 एम.के.एस. के खाता सं. 79/64 खाता सुरेन्द्र कौर में प. नं. 149/234 मु.नं. 31 के कि.नं. 16/1 में 0.126 है., 25/1 में 0. 127 है, प.नं. 150/235 मु.नं. 34 के कि.नं. 1,10,11,12,20 में कुल 1.518 है. कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में 149/234 मु.नं. 31 के कि. नं. 15 व 16 में हनुमानगढ़ संगरिया मुख्य सड़क निकलती है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के प.नं. 149/234 मु.नं. 31 के कि.नं. 16 में 0.126 है. कृषि भूमि है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में किला नं. 16 तथा अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सं.4 की भूमि किला नं. 15 की उतरी 15 दिशा में सड़क व प्रार्थीगण की कृषि भूमि के बीच में सड़क की सरकारी जगह है। यह जगह राजस्व रिकार्ड में किसी के नाम से भी दर्ज नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व भू-राजस्व अधिनियम के तहत जो कृषि भूमि किसी की नहीं है। वह सरकार की है ऐसी स्थिति में मु.नं. 31 के किला नं. 16 में जो शेष 8 बीस्वा कृषि भूमि है। वह वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में किसी के भी नाम दर्ज नहीं होने के कारण यह सरकारी भूमि है। इसलिये राज्य सरकार की है व राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व तहसीलदार द्वारा किया जाता है। इसलिये प्रकरण में तहसीलदार को पक्षकार के रूप में नियोजित कर तहसीलदार से रास्ते की मांग की जा रही है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में जाने के लिये कोई वैध व स्वीकृत रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये 24 फुट चौड़ा व 33 फुट लम्बे रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थीगण इस रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में नियमानुसार राशि अदा करने के लिये तैयार है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता न होने की वजह कोई प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये अनेकों दिक्कते आती है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को मु. नं..31 के किला नं. 6 में हनुमानगढ़ संगरिया मुख्य मार्ग से किला नं. 15 या 16 के उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम 24 फुट चौड़ा व 33 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं ताकि भविष्य में प्रार्थीगण को खेत में आवागमन में कोई परेशानी न हो। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मार्ग स्वीकृत हेतु हैं जो 2/- रूपये के न्यायालय शुल्क पर प्रस्तुत कर रहे हैं तथा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है तथा समयावधि में प्रस्तुत हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मु.नं. 31 के कि.नं. 16 में हनुमानगढ़ संगरिया मुख्य मार्ग से किला नं. 15 या 16 के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम 24 फुट चौड़ा व 33 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे। अन्य कोई अनुतोष माननीय न्यायालय अपने विवेक व मौका की स्थिति के अनुसार रास्ता स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में दिलवाना उचित समझे तो दिलवाए।

प्रार्थना-पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 1900 दिनांक 19.08.2025 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट मय उपलब्ध दस्तावेजों आदि का अवलोकन किया गया, प्रार्थीगण को रास्ता की अत्याधिक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 19 एमकेएस में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुदा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंधिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी संख्या 4 के रकबा में से चक 19 एमकेएस प.न. 149/234 मु.न. 31 केला न. 15 के दक्षिण छोर में पूर्व से पश्चिम 24 फुट चौड़ा एव सडक से प्रार्थी के खेत तक की पहुंच तक लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है और इसके बदले में प्रार्थीगण का दो गुणा रकबा जिससे अप्रार्थी को खेत खराब न हो इसलिए प.न. 149/234 मु.न. 31 किला नं. 16 से कम कर अप्रार्थी के किला नम्बर 15 के चिपता रकबा (नव स्वीकृत रास्ते के सामने की आराजी को छोड़कर) नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। अप्रार्थी को उक्त रकबा का उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 8.5.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया